रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 102] नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 4, 2003/फाल्गुन 13, 1924
No. 102] NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 4, 2003/PHALGUNA 13, 1924

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 मार्च, 2003

सा.का.नि. 189(अ).—राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :—

"सं. आ. 193

संविधान (राजस्व वितरण) सं. 2 आदेश, 2003

राष्ट्रपति, मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (2000 का 28) की धारा 36, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (2000 का 29) की धारा 41 और बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (2000 का 30) की धारा 40 के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 275 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित आदेश करते हैं :—

1. इस आदेश का संक्षिप्त नाम संविधान (राजस्व वितरण) सं. 2 आदेश, 2003 है।

2. साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) इस आदेश के निर्वचन के लिए उसी प्रकार लागू होगा जिस प्रकार वह केन्द्रीय अधिनियम के निर्वचन के लिए लागू होता है।

3. ग्यारहवें वित्त आयोग द्वारा 2000—2005 की अवधि के लिए सिफारिश किए गए उन्नयन अनुदानों को उत्तरवर्ती राज्यों में से प्रत्येक में जिलों की संख्या के आपेक्षिक अनुपात के आधार पर विभाजित किया गया है। आगे, ग्यारहवें वित्त आयोग द्वारा 2000—2005 की अवधि के लिए सिफारिश किए गए विशेष समस्या अनुदानों को उत्तरवर्ती राज्यों के बीच स्कीमों के विशिष्ट अवस्थानों के आधार पर विभाजित किया गया है।

ग्यारहवें वित्त आयोग द्वारा 2000—2005 की अवधि के लिए सिफारिश किए गए उन्नयन और विशेष समस्या अनुदानों में उत्तरवर्ती राज्यों का अंश यथा निम्नलिखित होगा :—

राज्य	उन्नयन अनुदान	विशेष समस्या अनुदान	जोड़ (उन्नयन और विशेष समस्या अनुदान)
		(रुपए करोड़ में)	
बिहार	228.48	31.67	260.15
झारखंड	113.12	28.33	141.45
मध्य प्रदेश	292.02	60.00	352.02
छत्तीसगढ़	142.50	—	142.50
उत्तर प्रदेश	503.53	33.73	537.26
उत्तरांचल	106.38	26.27	132.65

उन्नयन और विशेष समस्या अनुदानों को वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के पत्र सं. एफ.16(2)-एफसीडी/2000, तारीख 3 नवम्बर, 2000 द्वारा उन्नयन और विशेष समस्या अनुदानों के उपयोजन के लिए जारी किए गए मार्गदर्शक सिद्धान्तों में अधिकथित अनुबंधों के अनुसार राज्यों को निर्मुक्त किया जाएगा। प्रत्येक वर्ष के दौरान निर्मुक्त की गई रकमों को राष्ट्रपतीय आदेश जारी करके वित्तीय वर्ष के अन्त में नियमित किया जाएगा :

परन्तु किसी विशिष्ट वर्ष के लिए उपयोग न किए गए अनुदान को अगले वर्ष के लिए अग्रनीत किया जाएगा और वह अनुदान, जिसका उपयोग नहीं किया गया है, राज्यों के राजवित्तीय सुधार कार्यक्रम के अधीन 2004-2005 के दौरान प्रोत्साहन निधि में जमा किया जाएगा।

ए. पी. जे. अब्दुल कलाम,
राष्ट्रपति।"

[फा. सं०19(2)/2003-विधायी-1]

सुभाष सी. जैन, सचिव

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th March, 2003

G.S.R. 189(E).—The following Order made by the President is published for general information :—

"C.O. 193

THE CONSTITUTION (DISTRIBUTION OF REVENUES) NO. 2 ORDER, 2003

In exercise of the powers conferred by article 275 of the Constitution, read with Section 36 of the Madhya Pradesh Reorganisation Act, 2000 (28 of 2000), Section 41 of the Uttar Pradesh Reorganisation Act, 2000 (29 of 2000) and Section 40 of the Bihar Reorganisation Act, 2000 (30 of 2000), the President, hereby makes the following Order, namely :—

1. This Order may be called the Constitution (Distribution of Revenues) No. 2 Order, 2003.

2. The General Clauses Act, 1897 (10 of 1897) shall apply for the interpretation of this Order as it applies for the interpretation of a Central Act.

3. The upgradation grants recommended by the Eleventh Finance Commission for the period 2000—2005 have been divided on the basis of the relative proportion of the number of districts in each of the successor States. Further, the special problem grants recommended by the Eleventh Finance Commission for the period 2000—2005 have been divided on the basis of the particular locations of the schemes among the successor States.

The share of the successor States in the upgradation and special problem grants recommended by the Eleventh Finance Commission for the period 2000—2005 shall be as under :—

State	Upgradation grants	Special problem grants	Total (Upgradation and special problem grants)
		(Rupees in crores)	
Bihar	228.48	31.67	260.15
Jharkhand	113.12	28.33	141.45
Madhya Pradesh	292.02	60.00	352.02
Chattisgarh	142.50	—	142.50
Uttar Pradesh	503.53	33.73	537.26
Uttaranchal	106.38	26.27	132.65

The upgradation and special problem grants will be released to States in accordance with the stipulations laid down in the guidelines for utilisation of upgradation and special problem grants issued by the Ministry of Finance, Department of Expenditure, *vide* letter No. F. 16(2)-FCD/2000, dated the 3rd November, 2000. The amounts released during each year shall be regularised through the issue of President Order at the end of the financial year :

Provided that the unutilised grant for a particular year shall be carried forward to next year and the grant which remains unutilised shall be credited to the Incentive Fund during 2004-2005 under the States' Fiscal Reform Programmes.

A. P. J. ABDUL KALAM,
President."

[F. No. 19 (2)/2003-L. 1.]

SUBHASH C. JAIN, Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.